भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **496** जिसका उत्तर

गुरूवार, **4 फरवरी**, 2021/15 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है

दिल्ली-आगरा जलमार्ग

†496. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-आगरा जलमार्ग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली-आगरा जलमार्ग के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा पैनलबद्ध की गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत और व्यय की वसूली के लिए राजस्व मॉडल, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जगतपुर से यमुना नदी (वजीराबाद बराज के 6 किमी. धारा के विपरीत), दिल्ली से संगम, प्रयागराज में यमुना और गंगा नदियों के संगम स्थल तक (जिनमें दिल्ली से आगरा तक का जलखंड शामिल है) यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग - 110 (रा.ज.-110) के रूप में घोषित किया गया था। इस परियोजना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए रा.ज.-110 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जनवरी, 2020 में पूरी की गई थी। डीपीआर के अनुसार, यह परियोजना व्यवहार्य नहीं पाई गई है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

*****